7/12/20 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता
एवं प्रतिवादी सं. 6 की ओर से कोई
पैरोकार उप. बहस एकपक्षीय सुनी
गई बहस पर मनन किया पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक
अवलोकन किया अतः वादीगण का
वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा
जाकर खुले इजलास सुनाया गया
निर्णय की पालना हेतु तकमीलशुदा
अहलकारों को तहरीर जारी हो
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ ।
आसीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या – 46 / 2012
दी :–

1 रणजीतसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह फौत जिनके कामय मुकाम

1–(1) डुंगरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह

1–(2) नरपतसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी बासनी राजपुरोहितान

तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

प्रतिवादीगण :–

1 हीरसिंह पुत्र श्री तेजमालसिंह

2 अमानसिंह पुत्र श्री किस्तुरसिंह

3 भवंरसिंह पुत्र श्री मानसिंह

4 भवंरसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह

5 सोहनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी बासनी राजपुरोहितान

तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

6 श्री तहसीलदार, औसिया ।

उपस्थिति –

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता वादी की ओर से ।

2 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यावाही ।

3 प्रतिवादीगण संख्या 6 की ओर से सरकारी पेराकार उपस्थित ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, आर.टी.एक्ट. 1955

– निर्णय – **दिनाक –**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम औसिया की सरहद मे स्थित खेत खसरा नम्बर 2033 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा भूमि वादी के कब्जे काश्त की आई हुई है जो वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे तनाजा पुरोहितान के नाम से दर्ज है । उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी के वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर वादी का शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट कर्मचारियो की भूल व लापरवाही से तनाजा पुरोहितान के खाते मे दर्ज कर दी गई जबकि यह भूमि मौके पर तनाजा पुरोहितान मे नही थी बल्कि वादी के बाप दादा की कब्जे काश्त की भूमि थी जिस पर पुरोहितान का

Scanned with CamScanner

कोई तनाजा नही था और न ही आज दिन है । वादी को कानूनी ज्ञान नही होने से वादी इस विश्वास मे रहा कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है । हाल ही मे वादग्रस्त भूमि की खसरे की जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी से वादी ने प्राप्त की तब वादी को सर्व प्रथम यह जानकारी हुई कि वादी की वादग्रस्त भूमि तनाजा पुरोहितान के खाते मे दर्ज है जब कि वादग्रस्त भूमि का तनाजा पुरोहितान की भूमि से कोई सम्बन्ध नही है । वादी ने प्रतिवादीगण जो कि पुरोहित समाज के मुख्या है उनको वादग्रस्त भूमि तनाजा पुरोहितान के खाते मे से वादी के नाम उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने सहमती व्यक्त की किन्तु कुछ रोज बाद मे प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये । इसलिए वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा हेतु पेश किया जा रहा है । वादग्रस्त भूमि वादी की वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से आज दिन तक कब्जे काश्त की भूमि है । पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से आज दिन तक वादी का शांन्ति पूर्वक कब्जा काष्त होने से वादग्रस्त भूमि पजेषन के आधार पर वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है । वादग्रस्त भूमि मे वादी के अलावा किसी अन्य का कोई किसी प्रकार का कब्जा काश्त व हक हिस्सा नही रहा है और न ही किसी अन्य के नाम से खातेदारी की दर्ज है । राजस्व रेकर्ड मे तनाजा पुरोहितान के नाम से गलत दर्ज है । उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त या ऐतराज नही रहा है अभी हाल ही मे दिनाक 17–2–2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जब कि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है । वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट से वादी के कब्जे काश्त मे होने तथा मौके पर किसी प्रकार का तनाजा नही होने से एवं पजेशन के आधार पर वादी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष मे बनता है यदि प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैदो मे नही की जा सकेगी ।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण के समन बाद तामील प्राप्त हुए जो सामिल मिसल किये गये । प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही किसी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया ।

वादी द्वारा अपनी एक पक्षीय साक्ष्य मे पी. डब्ल्यू –1 नरपतसिंह, पी.डब्लू जसवन्तसिंह, पी. डब्ल्यू –3 विशनाराम, पी.डब्ल्यू –4 बालूसिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये । गवाह से दस्तावेजात प्रदर्श 1 जमाबन्दी की नकल सम्वत 2064 से 2067 , गिरदावरी की नकल प्रदर्श 2 तथा नक्शा ट्रेश की नकल प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये । फार्म नम्बर 3 के साथ वादग्रस्त भूमि की पुरानी गिरदावरीयो तथा पूर्व मे इसी न्यायालय द्वारा इसी तनाजा पुरोहितान की खातेदारी मे से वाद संख्या 54/05 मनोहरसिंह बनाम भगवानसिंह मे खातेदारी घोषित करने के निर्णय, आदेशिकाए तथा नामान्तकरण संख्या 2415 की नकले पेश की जो शामिल मिसल की गई ।

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे स्थानीय अखबार मे आम सूचना प्रकाशित करवाई गई लेकिन कोई आपति एतराज पेश नही हुआ जिस अखबार की प्रति शामिल हुआ मिसल की गई । तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार औसिया द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही को आपास्त कर जबाब देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार करके प्रतिवादी संख्या 6 का जबाब दावा रेकर्ड पर लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वादी के समस्त गवाहान से जिरह करवाई गई । हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई जिसमे हल्का पटवारी ने वादी का वक्त सेटलमेन्ट से आज तक कब्जा काश्त, चार दिवारी तथा पक्का मकान आदि वादी के होना बताये तथा फर्द पर पडोसियो व गांव के मौतबिर व्यक्तियो के भी हस्ताक्षर करवाये गये है जो मौका फर्द सामिल मिसल की गई ।

वादी द्वारा प्रस्तुत सभी गवाहन ने अपने शशपथ बयानो मे बताया है कि वादग्रस्त भूमि वादी तथा उसके बाप दादो की थी सेटलमेन्ट के पूर्व से इनका ही कब्जा काश्त था कर्मचारियो की भूल से तनाजा पुरोहितान दर्ज की है जब कि वादग्रस्त भूमि पर कभी किसी प्रकार का तनाजा नही था ।

प्रस्तुत गवाहान के बयान शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवम् हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट से वादी की खातेदारी वक्त सेटलमेन्ट से सिद्व होती है । अतः वादी रणजीतसिंह के कायम मुकाम डुंगरसिंह ,नरपतसिंह पीसरान रणजीतसिंह जाति राजपूरोहित निवासी बासनी पुरोहितान को उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 2033 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा के खातेदार घोषित किये जाते है । वक्त सेटलमेनट से उक्त भूमि का कायम लगान वसूल किया जाकर वादीगण के नाम रिकार्ड मे दर्ज किये जावे । इस प्रकार से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 2033 रकबा 04 बीघा 10 बीस्वा, भूमि का वादी रजणजीतसिंह के कायम मुकाम डुंगरसिंह व नरपतसिंह को खातेदार घोषित किया जाते है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जावे । तहसीलदार औसिया निर्णय की पालना नियमानुसार करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/12/22 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया

सहायक कलक्टर, औसिया

सहायक कलक्टर ,ओसियां

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।

बइजलास –रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रणजीतसिंह पुत्र श्री लिछमणसिंह फौत जिनके कामय मुकाम 1–(1) डुंगरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह 1–(2) नरपतसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बासनी राजपुरोहितान तहसील औसिया जिला जोधपुर ।		1 हीरसिंह पुत्र श्री तेजमालसिंह 2 अमानसिंह पुत्र श्री किस्तुरसिंह 3 भवंरसिंह पुत्र श्री मानसिंह 4 भवंरसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह 5 सोहनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बासनी राजपुरोहितान तहसील औसिया जिला जोधपुर । 6 श्री तहसीलदार, औसिया ।

मुकदमा नम्बर 1/2012

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की कोई उपस्थित नही ,प्रतिवादीगण संख्या 6 की ओर से सरकारी पेरोका उपस्थित जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम औसिया के खसरा नम्बर 2033 रकबा 04 बीघा 10 बीस्वा, भूमि का वादी रजणजीतसिंह के कायम मुकाम डुंगरसिंह व नरपतसिंह को खातेदार घोषित किया जाते है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जावे ।तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है । मुवलिग.....बाबत .....खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह .....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक .....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिंनाक 7/12/2012 को जारी की गई ।

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह हुक्मनामा		
जनाब इजराह हुक्मनामा			मुद्धफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर औसिया

Scanned with CamScanner